


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938

No. 548]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सां. का. नि. 772(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 47 में, उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन प्राधिकृत प्रचालनों, उनसे संबंधित लेन-देन, वस्तु और सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में प्रतिदाय, मांग, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन और अपील सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम 1994 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के अनुसार अधिकारिता वाले सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।”।

3. मूल नियम में, नियम 78 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“79 अप्रत्यक्ष करों के लिए विशेष आर्थिक जोनों में लेखा परीक्षा :- विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन सभी प्राधिकृत प्रचालन तथा विशेष आर्थिक जोनों और विशेष आर्थिक जोनों में स्थित यूनिटों में उनसे संबंधित लेन देनों की लेखा परीक्षा अधिकारिता वाले मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के परामर्श से अधिकारिता वाले विकास आयुक्त द्वारा गठित पैनल के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।”

[फा. सं. – डी -6/40/2012- एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 627(अ), तारीख 6 अगस्त, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

G.S.R. 772(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:-

1. **Short title and commencement: -**

- (1) These rules may be called the Special Economic Zones Rules (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zone Rules, 2006 (herein after referred to as the principal rules) in rule 47, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(5) Refund, Demand, Adjudication, Review and Appeal with regard to matters relating to authorised operations under Special Economic Zones Act, 2005, transactions, and goods and services related thereto, shall be made by the Jurisdictional Customs and Central Excise Authorities in accordance with the relevant provisions contained in the Customs Act, 1962, the Central Excise Act, 1944, and the Finance Act, 1994 and the rules made there under or the notifications issued there under.”.

3. In the principal rules, after rule 78, the following rule shall be inserted, namely: -

“79. Audit in Special Economic Zones for indirect taxes- All the authorised operations under Special Economic Zones Act, 2005 and transactions relating thereto in Special Economic Zones and Units in the Special Economic Zones shall be audited by the Customs officers from a panel drawn by the Jurisdictional Development Commissioner in consultation with the Jurisdictional Chief Commissioner of Customs and Central Excise.”.

[F.No. D. 6/40/2012-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* G.S.R. 627(E) dated the 6th August, 2015.